भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5171

बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>घरेलू सौर पीवी विनिमार्ण की स्थापित क्षमता</u>

5171. श्री पी. पी. चौधरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चीन, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य प्रमुख विनिमार्ण देशों की तुलना में भारत में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण की वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या वैश्विक सौर विनिमार्ण मूल्य श्रृंखला में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां पाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू सौर विनिमार्ण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन या नीतिगत उपाय लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सौर विनिमार्ण में घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) दिनांक 27.03.2025 को जारी मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के अनुसार, भारत में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 74 गीगावाट है। भारतीय सौर निर्माता संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चीन, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण की स्थापित क्षमता क्रमशः लगभग 1000 गीगावाट, लगभग 23.35 गीगावाट और लगभग 50 गीगावाट है।

(ख) जी, नहीं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसा कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ अनुलग्नक में उल्लिखित उपाय भी शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं। सरकार ने सौर विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, सरकार ने सौर विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत, पीएलआई की राशि योजना के तहत चयनित सौर पीवी विनिर्माताओं द्वारा निर्मित सौर पीवी मॉड्यूल में स्थानीय सामग्री से जुड़ी हुई है। स्थानीय मूल्य संवर्धन बढ़ने से पीएलआई राशि बढ़ जाती है, जिससे विनिर्माताओं को अपनी सामग्री घरेलू स्तर पर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, एमएनआरई की कुछ मौजूदा योजनाओं के तहत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, और पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की है। इन उपायों से, अन्य के साथ-साथ, उत्साहजनक संकेत दिखने लगे हैं, जो बढ़ती घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता में परिलक्षित होते हैं। एएलएमएम के तहत सूचीबद्ध सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता चार वर्षों में नौ गुना वृद्धि के साथ लगभग 74 गीगावाट तक बढ़ गई है। सौर पीवी निर्माता संघों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, देश में सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 25 गीगावाट तक बढ़ गई है। इसके अलावा, देश में लगभग 2 गीगावाट की इंगोट और वेफर विनिर्माण क्षमता भी स्थापित की गई है। सौर पीवी सेल और मॉड्यूल की उपरोक्त विनिर्माण क्षमता में लगभग 3.2 गीगावाट की पूर्ण रूप से एकीकृत थिन फिल्म सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता शामिल है, जो आयातित सौर सेलों, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि विनिर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से एकीकृत है और विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी प्रमुख चरण भारत में होते हैं।

'घरेलू सौर पीवी विनिमार्ण की स्थापित क्षमता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5171 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्वदेशी सौर पीवी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: भारत सरकार, 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की घरेलू विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। इस योजना के अंतर्गत 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं।

(ii) स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर): एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, घरेलू स्रोतों से सौर पीवी सेल और मॉड्यूल की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में "मेक इन इंडिया" को वरीयता: 'उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ उन सभी माल और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान की गई थी जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है और यह अनिवार्य किया गया था कि केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने इस अनिवार्यता के साथ पात्र होंगे कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50% होनी चाहिए।

(iv) सौर पीवी सेलों, सौर पीवी मॉड्यूलों और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाना: सरकार ने सौर पीवी सेलों, सौर पीवी मॉड्यूलों और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना: एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना समाप्त कर दिया है।

(vi) सौर सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल पर सीमा-शुल्क की छूटः सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए दिनांक 23.07.2024 की अधिसूचना सं. 30/2024-सीमा-शुल्क की सूची 41 में निर्दिष्ट माल के आयात पर सीमा-शुल्क में छूट दी है।

*****